

# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(सामरतन सौकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

07 / 2025

01.05.2025

सरकार जरिए जिला पुलिस अधीक्षक,  
टोंक, राजस्थान

..... सायल

बनाम

साजिद मियां उर्फ शाहूर पुत्र भोन्दू खां जाति मुसलमान पठान निवासी जाल का  
कुआ रजबन टोंक थाना कोतवाली, टोंक जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :- 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेंसोकार

2- गैर सायल अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 26/9/25

प्रस्तुत इस्तगासे का संक्षेप में सार इस प्रकार हैं कि जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल साजिद मियां उर्फ शाहूर पुत्र भोन्दू खां जाति मुसलमान पठान निवासी जाल का कुआ रजबन टोंक थाना कोतवाली, टोंक जिला टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल आपराधिक प्रवृत्ति में लीन है व जुआ खेलता है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल को साधारण व जमानती नोटिस जारी किए गए परन्तु गैर सायल अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायल के विरुद्ध एवपक्षीय कार्यवाही की गई। अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में इस्तगासे में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो



*BdL*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

पेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये है उनकी विश्वरानीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की गई है और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध अभियोग क्रमशः 359/2024 दिनांक 20.10.2024 थाना कोतवाली जिला टोंक व 14/2025 दिनांक 14.01.2025 थाना उन्गियारा जिला टोंक द्वारा 13 RPGO अधिनियम में दर्ज होकर दोनों प्रकरणों में गैर सायल को सजा सुनाई गई जिनसे संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि गैर सायल बचपन से ही गलत संगत में आने के कारण आपराधिक प्रवृत्ति व गलत संगत करने व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आये दिन जुआ खेलता है, दुरारों को जुआ खिलवाता है जिससे समाज के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड रहा है। इसकी आम शोहरत खराब है, लोग इससे भयभीत रहते हैं। इसके बारे में कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में गैर सायल का स्वतंत्र रहकर घूमना आम जीवन के लिए एवं शांति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से खतरा बन गया है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3(3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरुद्ध उक्त प्रकरण जुआ खेलने से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ खेलने का आदी है। इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल आपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा रवीकार कर गैर सायल साजिद मियां उर्फ शाहूर पुत्र भोन्दू खां जाति मुसलमान पटान निवासी जाल का कुंआ रजवन टोंक थाना कोतवाली, टोंक जिला टोंक को दिनांक 10.10.2025 से 20.10.2025 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक से पुलिस थाना सदर, जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जिला टोंक के यहाँ प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी



ADL  
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

पुलिस थाना सदर, जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(समस्त सीकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
टोंक